FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाडा

नारायण बनाम चुन्नी

किस्म मुकदमा 151 सी.पी.सी.

प्रकरण संख्या 193/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2020 अन्तर्गत धारा 212 RTA में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 में क्रियात्मक आदेश में लिपीकीय त्रुटि से ग्राम भाटीखेड़ा के स्थान पर ग्राम बराणा अंकित हो गया है। अतःप्रार्थी ने न्यायालय हाजा द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 02.08.2021 प्रकरण संख्या 19/2020 में क्रियात्मक आदेश में ग्राम बराणा के स्थान पर ग्राम भाटीखेड़ा शुद्व किये जाने बाबत् निवेदन किया।	

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 19/2020 को तलब की जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत कृषि भूमि ग्राम बराणा में स्थित नहीं होकर ग्राम भाटीखेड़ा मे स्थित है जिसके आ.नं.1012 रकबा 2.43 हैक्टर है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2020 निर्णय दिनांक 02.08.2021 के क्रियात्मक आदेश में ग्राम भाटीखेड़ा के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से ग्राम बराणा अंकित हो जाने से उसे शुद्व करना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 19/2020 निर्णय दिनांक 02.08.2021 में क्रियात्मक आदेश में निम्नानुसार लिपीकीय त्रुटि के सुधार के आदेश जारी किये जाते है

क्रियात्मक आदेश

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा
भाटीखेड़ा	1012	2.43

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर पत्रावली को मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सरे –इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42.15 IST
Reason: SelfAttested